संख्या : 1719 /IV(1)/2009–318(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक :14 दिसम्बर, 2009

विषयः आगामी कुम्भ मेला, 2010 के अन्तर्गत टिन, टेन्टेज आदि अस्थायी कार्यों हेतु प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1886/कु.मे.–2010–बजट–लेखाकार दिनांक 08.10.2009 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मेला अधिष्ठान द्वारा टिन, टेन्टेज आदि अस्थायी कार्यों हेतु प्रस्तावित आगणन/प्रस्ताव के सापेक्ष संलग्न सूची में दिए गये विवरणानुसार रू. 763.05लाख **(रू. सात करोड़ तिरसठ लाख पांच हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए, वित्तीय वर्ष 2009–10 में उक्त धनराशि को व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त कार्य विगत कुम्भ मेला एवं अर्द्धकुम्भ मेले में मदवार व्यय की गई धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अनुमोदित सीमा में ही केवल आवश्यक कार्यों को कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। लागत में वृद्धि के लिए आगणन का पुनरीक्षण किसी दशा में नहीं किया जाएगा। आवश्यकता तथा मानक से अधिक टैन्ट, टिन, फर्नीचर तथा विविध मदों की व्यवस्था नहीं की जाएगी। जिन मदों में जो व्यवस्था की जाए, उसका समुचित कारण व आवश्यकता का प्रमाणपत्र भी मेले के बाद मेलाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
2. मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।
3. व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।
4. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं उक्त के क्रम में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों के अनुरूप उपकरण आदि का क्रय विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार किया जाएगा तथा उस पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाए।
7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है।
8. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
9. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

11. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु मेलाधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
12. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।
13. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।
14. उपकरणों के क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पूर्व कुम्भ मेलों में क्रय किए गये उपकरणों का भी पूरा उपयोग किया जाए एवं तद्नुसार केवल अतिरिक्त आवश्यक उपकरण ही क्रय किए जाएं। यह भी देख लिया जाए कि यदि उपकरण किराए पर लेना अधिक Cost effective व economical हो तो तद्नुसार ही कार्यवाही की जाए।
15. जनशक्ति के उपयोग के संबंध में कार्य के मानक निर्धारित कर ही व्यय की सीमा का आकलन पूर्व में ही कर लिया जाए एवं तद्नुसार ही कार्यवाही की जाए।
16. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 1614/IV(1)/2009–39(सा.)/2006–टी.सी. दिनांक 24नवम्बर, 2009 के द्वारा मेलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई धनराशि रू. 100करोड़ के सापेक्ष आहरित कर किया जाएगा तथा पुस्तांकन तद्स्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 645/XXVII(2)/2009 दिनांक 12दिसम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या : 1719 (1)/IV(1)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या : 1719 / IV(1)/2009–318(कुम्भ) / 2009 दिनांक : 15 दिसम्बर, 2009 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू. में)

क्र.सं.	अस्थायी कार्य का विवरण	स्वीकृत धनराशि
1	टैन्ट	179.48
2	टिन	219.48
3	फर्नीचर	178.34
4	विद्युत	98.54
5	विविध	87.23
	योग	**763.05**

(रू. सात करोड़ तिरसठ लाख पांच हजार मात्र)

(सुभाष चन्द्र)
अनुसचिव।